संख्या- 05 /2021/235/अडतीस-7-2021-11नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 12 फरवरी, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश संख्या-जे-14037/01/2020-आरई-I(एसएल.नं0-97), दिनांक: 01-02-2021 द्वारा सामग्री एवं प्रशासनिक मद में निर्गत केन्द्रांश के प्रथम भाग की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 19900.00लाख(रूपये एक अरब निन्यानबे करोड़ मात्र) के मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 6633.33लाख (रूपये छाछठ करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि रू0 670.56 लाख सहित कुल धनराशि रू0 20570.56लाख (रूपये दो अरब पांच करोड़ सत्तर लाख छप्पन हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजटीय व्यवस्थानुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. **प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/के सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।**
2. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यक्तानुसार चरणों में किया जायेगा। आयुक्त, ग्राम्य विकास इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।**
3. **योजनान्तर्गत् किसी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।**
4. **आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।**
5. **इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
6. **प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धरित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**
7. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।**

http://Shasanadesh.up.gov.in

8. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि पर बैंक द्वारा अब तक अर्जित ब्याज का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के केन्द्रांश स्वीकृति आदेश दिनांक 01-02-2021 की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
12. धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
1. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2019-231/2019, दिनांक: 24 मार्च, 2020 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाहीअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपर्युक्तानुसार स्वीकृत होने वाली सामग्री अंश की धनराशि से निम्नलिखित वरीयता क्रम में भुगतान किया जायेगाः-
    1. राज मिस्त्री, मेट व अन्य कुशल व अर्द्धकुशल मजदूरों की मजदूरी का भुगतान।
    2. ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत भवन के निर्माण के फलस्वरूप भुगतान (जहां कन्वर्जेन्स हो) सामग्री अंश।
    3. ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के फलस्वरूप भुगतान(जहां कन्वर्जेन्स हो)सामग्री अंश।
    4. व्यक्तिगत योजनाओं के लिए चयनित लाभार्थी के परियोजनाओं हेतु रू0 2500.00 लाख की धनराशि आरक्षित रखी जाय।
    5. मेट के रुप में स्वंय सहायता समूह की महिला सदस्यों को रखने की अनिवार्यता भारत सरकार द्वारा की गयी है। मेटों के मजदूरी का भुगतान मैटीरियल अंश से होता है। अतः इस कम्पोनेंट पर रु0 1000.00 लाख आरक्षित किया जाय।
3. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक लेखानुदान की अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-75/रा.25-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-यूओ-ई-2- 148/दस-20 दिनांक 12 फरवरी, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 05 /2021/235(1)/अड्तीस-7-2021 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

http://sirsaidabad.up.gov.in

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
10. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in